

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/19609


दिनांक: 09/8/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नांकित नगरीय निकायों में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर आगामी एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री भूवनेश शर्मा	नगर परिषद, श्रीगंगानगर
2.	श्री अमनदीप सिंह	नगर परिषद, श्रीगंगानगर
3.	श्री समीर मुदगल	नगर परिषद, श्रीगंगानगर
4.	श्री अनुज इण्डन	नगर निगम, अजमेर
5.	श्री विशम्भर कृष्ण सिंह	नगरपालिका, देवगढ
6.	श्री बलदेव सिंह रावत	नगर परिषद, ब्यावर

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।



(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/19610-40

दिनांक: 09/8/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद/पालिका
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर निगम/परिषद/पालिका
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी